

प्रेषक,
श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी
इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 01/09 अगस्त, 2015

विषय:-आगामी कुम्भ मेला/अर्द्धकुम्भ मेला एवं माघ मेला हेतु स्ट्रीट लाइटें एवं जनरेटर सेट आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25/पन्द्रह-मा0मे0(2015-16),दिनांक 21.04.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुम्भ मेला 2013 के अवशेष 6602 नग स्ट्रीट लाइटें व 02 नग 63केवीए तथा 05 नग 125केवीए के जनरेटर अधिशासी अभियंता, विद्युत भण्डार खण्ड, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम, इलाहाबाद को आवंटित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- (1) उक्त सामग्रियों हेतु आगामी कुम्भ मेला/अर्द्धकुम्भ मेला/माघ मेला हेतु धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।
- (2) उक्त सामग्रियों के निष्प्रयोज्य होने पर मेला प्रशासन के माध्यम से नियमानुसार नीलामी सम्पन्न कराकर धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी। उक्त नीलामी के समय नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ उपस्थित रहेंगे तथा पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, माघ मेला, इलाहाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल प्रथम, इलाहाबाद।
6. अधीक्षण अभियंता, विद्युत भण्डार मण्डल, वाराणसी।
7. कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।